न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5, बरेली।

<u>आदेश</u>

दिनांक 07.08.2019

अभियुक्त **सादिक** की ओर से मु0अ0सं0 132/2015 धारा 379, 411 भा.दं.स. थाना किला, जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त वारंट के निष्पादन में दिनांक 30.07.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। उसने जानबूझकर कोई गलती नही की तथा वह भविष्य में नियत तिथियों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। वह वारंट के निष्पादन में दिनांक 30.07.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह पूर्व में जमानत पर था, उसने जानबूझकर कोई गलती नही की तथा वह भविष्य में नियत तिथियों पर न्यायालय हाजिर आता रहेगा। वह वारंट के निष्पादन में दिनांक 30.07.2019 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह उचित जमानत देने को तैयार है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते अभियुक्त द्वारा **बीस हजार रूपये** का नवीन निजीबंधपत्र एवं समान धनराशि की **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये। प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह भविष्य में नियत तिथियों पर न्यायालय उपस्थित आता रहेगा।

ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 5,
बरेली।